सराहनीय कार्य, जनपद जालौन

दिनांक – 29.12.2024

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में कोतवाली जालौन एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा पशु चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये पुलिस मुठभेड़ के दौरान घटनाओं से सम्बन्धित 06 अन्तर्रजनपदीय अभियुक्तों को चोरी के 16 बकरे/बकरियां तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद ईको कार एवं अवैध असलाह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 09.12.2024 को वादी द्वारा कोतवाली जालौन में तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 08.12.2024 को कुछ अज्ञात चोरों द्वारा 22 बकरिया चोरी कर ले जाने व 07 बकरियों के बच्चों को काट दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में कोतवाली जालौन में मु0अ0सं0 388/2024 धारा 331(4)/305(a)/325 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। एवं दिनांक 27.12.2024 को वादी द्वारा कोतवाली जालौन में तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 19/20.12.2024 की रात्रि को कुछ अज्ञात चोरों ने 05 बकरिया चोरी कर ली है। जिसके सम्बन्ध में कोतवाली जालौन में मु0अ0स0 407/2024 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

घटनाओं के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा घटना के अनावरण हेतु प्रयास किये जा रहे थे जिसके क्रम में मुखविर की सूचना के आधार पर दिनांक 29.12.2024 को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे ग्राम पमां ओवरब्रिज के नीचे पुलिस मुठभेड़ के दौरान 06 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद कारतूस जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस व 04 अदद चाकू तथा 01 अदद ईको गाडी UP78DE6344 रंग स्लेटी तथा चोरी की गई 16 बकरियों को बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया कि हम लोग गिरोह बनाकर चरवाहों की बकरे/बकरी चोरी करते हैं तथा ईको कार में डालकर भाग जाते तथा उन्हें बेंचकर जो पैसा प्राप्त होता है, उससे हम अपनी जरूरतों एवं शौक पूरे करते हैं। आज हम लोग चोरी की बकरियों को बेचने जा रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अन्ताश खां पुत्र फजल खां नि0 मु0 सुभाषनगर काशीराम कालौनी कोतवाली महोबा जनपद महोबा उम्र 42 वर्ष

2. दीपक कुमार उर्फ दीपू पुत्र सिद्धगोपाल नि0 मो0 राजेन्द्रनगर कस्वा व थाना कवरई जनपद महोबा उम्र 30 वर्ष
3. मलश खां पुत्र फजल खां नि0 मु0 सुभाषनगर काशीराम कालौनी कोतवाली महोबा जनपद महोबा उम्र 25 वर्ष
4. आकम खां उर्फ छोटू पुत्र फजल खां नि0 मु0 सुभाषनगर काशीराम कालोनी कोतवाली महोबा जनपद महोबा उम्र 22 वर्ष
5. लाला उर्फ जावेद पुत्र सुलेमान नि0 सुभाषनगर काशीराम कालोनी कोतवाली महोबा जनपद महोबा उम्र 24 वर्ष
6. तोहीद खां पुत्र सुलेमान खां नि0 सुभाषनगर काशीराम कालोनी कोतवाली महोबा जनपद महोबा उम्र 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास समस्त अभियुक्तगण –

1. मु0अ0स0 388/2024 धारा 331(4)/305(a)/325 BNS थाना कोतवाली जालौन।
2. मु0अ0स0 407/2024 धारा 305(a) B.N.S. थाना कोतवाली जालौन ।
3. मु0अ0स0 408/2024 धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड) व धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम व धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली जालौन।
4. मु0अ0स0 369/2024 धारा 305(a) B.N.S. थाना कुलपहाड जनपद महोबा।
5. मु0अ0स0 79/2024 धारा 379/506 भादवि0 थाना कोतवाली देहाद जनपद बाँदा (अभियुक्त 1.दीपक कुमार उर्फ दीपू 2. लाला उर्फ जावेद उपरोक्त के विरुद्ध)।

बरामदगी का विवरण-

1. 16 बकरे/बकरियां चोरी की
2. 01 अदद ईको कार UP78DE6344
3. 02 अदद तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 04 अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 कोतवाली जालौन मय टीम
2. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय टीम